क्रम-संख्या–81

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 16 अप्रैल, 2021

चैत्र 26, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गोपन अनुभाग–7

संख्या 111/1/1/80-सी०एक्स०-7-टी0सी0-III

लखनऊ, 16 अप्रैल, 2021

अधिसूचना

प0आ0–110

चूँकि, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुयी हैं, और उनकी प्रतिक्रिया **स्वरूप** राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुयी हैं, और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें होने की सम्भावना हैं;

और, चूँकि, समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने के प्रतिकूल **क्रिया**-कलापों में भाग ले रहें हैं;

और, चूँकि,, उत्तर प्रदेश में विद्यमान और संभावित उपर्युक्त परिस्थितियों को **दृष्टि** में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) की धारा 3 की उपधारा (3) **द्वारा** प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और समय-समय पर यथा उपान्तरित और अन्ततः सरकारी अधिसूचना संख्या 111/1/1/80-सी०एक्स०-7 टी०सी०-III, दिनांक 15 जनवरी, 2021 **द्वारा** उपान्तरित सरकारी अधिसूचना संख्या 111/1/1/80-सी०एक्स०-6, दिनांक 25 सितम्बर, 1980 में दिये गये आदेशों का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल, राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक 17 अप्रैल, 2021 से तीन मास की अग्रेतर अवधि के लिए उक्त धारा 3 की उपधारा (2) **द्वारा** प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त करते हैं।

आज्ञा से,
भगवान स्वरूप,
गृह सचिव।

संख्या–111/1/1/80-सी०एक्स०-7-टी०सी०-III, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, गृह मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) सचिव,विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) पुलिस महानिदेशक एवं अपर पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश।
(5) पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, विशेष शाखा, उत्तर प्रदेश।
(6) पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(8) शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(9) रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सलाहकार बोर्ड, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ परिसर, लखनऊ।
(10) गोपन अनुभाग–5 एवं 6।

आज्ञा से,
विनय कुमार,
अनु सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 111/*I*/*I*/80-CX-7-T.C.-III, dated April 16, 2021:

No. 111/*I*/*I*/80-CX-7-T.C.-III

Dated Lucknow, April 16, 2021

WHEREAS, in the past, there have been incidents of violence in certain districts of Uttar Pradesh and as a reaction thereto similar incidents have occurred in other parts of the State and are likely to occur in other parts of the State also;

AND, WHEREAS, anti-social elements are indulging in activities prejudicial to the security of the State, maintenance of public order and maintenance of supplies and services essential to the cummunity;

AND, WHEREAS, in view of the aforesaid circumstances prevailing and likely to prevail in uttar Pradesh, the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980 (Act no. 65 of 1980) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897) and in partial modification of the orders contained in Government notification no. 111/*I*/*I*/80-CX-6, dated September 25, 1980 as modified from time to time and lastly modified by Government notification no. 111/*I*/*I*/80- CX-7- T.C.-III, dated January 15, 2021, the Governor is pleased to empower all the District Magistrates of the State to exercise the powers, conferred by such section (2) of the said section 3 for a further period of three months, with effect from April 17, *2*021.

By order,
BHAGWAN SWARUP,
Grih Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 30 राजपत्र–2021–(53)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 गोपन–2021–(54)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।